

मालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला-बीकानेर

मुकदमा नम्बर..... 62/2016 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

अनुवान:- राज्य सरकार बनाम

निर्णय

दिनांक:- 2/4/18

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि है कि गैर सायल सरला देवी पुत्र/पत्नि श्री सोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासी श्रीडूंगरगढ द्वारा ग्राम श्रीडूंगरगढ के अराजी खसरा नम्बर 106 तादादी 798 हैक्टयर किस्म भूमि गै.मु.बी. भूमि में से 2.34 हैक्टयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्वत् 2013 में नाजायज अतिक्रमण अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अत इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल द्वारा निम्ना जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें गैर सायल ने लिखा है कि मेरा एक खसरा नं. 511 तादादी 14.20 हैक्टयर यही जे.ए.ए. में स्थित है उक्त भूमि मेरे द्वारा खरीदी हुई है जिस पर खसरा नं. 106 तादादी 798 हैक्टयर का पट में कायम है। अत मेरे खसरे में अतिक्रमण नहीं किया गया है।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल सरला देवी का उक्त खसरा नम्बर 106 तादादी 798 हैक्टयर गै.मु.बी. भूमि में से 2.34 हैक्टयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। अतः गैर सायल अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल सरला देवी पुत्र/पत्नि श्री सोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासी श्रीडूंगरगढ को ग्राम श्रीडूंगरगढ के खसरा नम्बर 106 तादादी 798 हैक्टयर गै.मु.बी. भूमि में से 2.34 हैक्टयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् 2013 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 2.34 रुपये का 50 गुणा से 117.00 रुपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 2.4.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजिलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।